राजस्व वाद संख्या:-101 / 2023
मनोहरलाल बनाम मामकौर उर्फ सावित्री वगै0
निर्णय दिनांक:-27/06/2025......

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:-
श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 101 / 2023

01. मनोहर लाल पुत्र हरनारायण उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. माबुराम पुत्र हरनारायण उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
03. मालाराम पुत्र बेदीराम उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

वादीगण

बनाम

01. मामकौर उर्फ सावित्री पत्नी धर्मचन्द जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
02. सुरेश कुमार पुत्र धर्मचन्द जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
03. श्रीराम पुत्र धर्मचन्द जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
04. शुभराम पुत्र धर्मचन्द जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
05. शनिराम पुत्र धर्मचन्द जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
06. किरणा पुत्री धर्मचन्द पत्नी हीरालाल जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
07. विन्दर कुमारी पुत्री मिश्री देवी पुत्री बेदीराम जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
08. बाला देवी पत्नी रामकुमार उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
09. शीशपाल पुत्र रामकुमार उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
10. हवा सिंह पुत्र रामकुमार उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
11. राकेश पुत्र रामकुमार उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
12. जयसिंह पुत्र रामकुमार। उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
13. रामकिशन पुत्र रामकुमार उम्र व्यस्क जाति मेघवाल निवासी लोटिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—101 / 2023
मनोहरलाल बनाम मामकौर उर्फ सावित्री वगै0
निर्णय दिनांकः—27/06/2025........

14. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सूरजगढ जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
15. इंडियन ऑवरसीज बैंक शाखा खेतड़ी नगर जरिये शााखा प्रबन्धक इंडियन ऑवरसीज बैंक खेतड़ी नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः— वादीगण अधिवक्ता
प्रतिवादीगण अधिवक्ता

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती यह कि यह कि वाके ग्राम लोटिया की सरहद में भुमि खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 3.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.42 हैक्टर खसरा नम्बर 139 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6. 16 हैक्टर स्थित है। जिसका वाद वाद पत्र में विवादित भुमि कहा जायेगा।

यह कि विवादित भुमि के पूर्व में देबिया उर्फ बेदीराम, हरनारायण पुत्र सुण्डाराम खातेदार काश्तकार थे। हरनारायण का देहान्त हो चुका है हरनारायण के दो पुत्र मनोहर लाल व माडुराम है जो वाद पत्र में वादी नं 1 व 2 है तथा माना पत्नी थी जिसका भी देहान्त हो चुका है। इस प्रकार विवादित भुमि में वादी नं० 1 व 2 हिस्सा 1/4–1/4 के खातेदार काश्तकार है।

देबिया उर्फ बेदीराम का देहान्त हो चुका है जिसके तीन पुत्र रामकुमार, मालाराम, धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द व पत्नी माली है। धर्मचन्द व माली का देहान्त हो चुका है। धर्मचन्द के वारीसान प्रतिवादी नं० 1 लगायत 6 तथा प्रतिवादी नं0 7 बेदीराम की पुत्री की पुत्री है व रामकुमार का भी देहान्त हो चुका है रामकुमार के पांच पुत्र व पत्नी बाला देवी है जो वाद पत्र में प्रतिवादी नं० 8 लगायत 13 है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के देबिया उर्फ बेदीराम, हरनारायण पुत्र सुण्डाराम कौम मेघवंशी बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे। जिन्होने उक्त भुमि का अपने जीवनकाल में ही कब्जा काश्त के आधार पर भौतिक विभाजन कर अपने हिस्से की भुमि पर कुआं व मकानात बनाकर काबिज काश्तकार रहे। भौतिक विभाजन में हरनारायण को भुमि खसरा नम्बर 128 का पश्चिमी हिस्से का रकबा 2.70 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 139 का 1/2 हिस्सा पूर्वी प्राप्त हुआ जिसमें उक्त हरनारायण ने कुआ व मकानात बनाकर काबिज काश्त है हरनारायण का देहान्त हो चुका है। हरनारायण के वारिसान वादीगण 1 व 2 है व हरनारायण देहान्त के बाद उक्त हिस्से की भुमि पर आज भी शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। भौतिक विभाजन में देबिया उर्फ बेदीराम को खसरा नम्बर 128 का पूर्वी भाग का रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 का सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नम्बर 139

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

का 1/2 पश्चिमी हिस्सा प्राप्त हुआ जिस पर उक्त देबिया उर्फ बेदीराम अपने जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहा और देहान्त के बाद उसके वारिसान वादी नं० 3 व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 13 काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1993 में प्रशासन गांवो के संग अभियान चलाया गया जिसमें राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने विवादित भुमि के कब्जा काश्त की जांच किये बगैर एक अनुबन्ध पत्र राजस्व कैम्प में बैठकर तैयार कर दिया। हरनारायण व बेदीराम दोनो अनपढ व्यक्ति थे जिनको नक्से की कोई जानकारी नही थी और राजस्व कैम्प में राजस्व कर्मचारियो व तत्कालीन सरपंच के कहने से हस्ताक्षर कर दिये। जिसका नामान्तकरण संख्या 82 भरकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया तो उसमें हिस्सा तो बराबर दर्ज कर दिया परन्तु हरनारायण व बेदीराम के कब्जे काश्त की भुमियो से हटकर के राजस्व नक्सा में तरमीन कर दी। इस प्रकार उक्त अनुबन्ध पत्र के आधार पर जो विभाजन किया जाना था वह कब्जे काश्त के आधार पर न करके पक्षकारान दावा के मध्य नया विवाद पैदा कर दिया, क्योकि खसरा नम्बर 138 में वादीगणं 1 व 2 की कोई कब्जा काश्त नही है उक्त भुमि पर पहले बेदीराम का तथा उसके देहान्त के बाद बेदीराम के वारिसान वादी नं० 3 व प्रतिवादी नं० 1 लगायत 13 की कब्जा काश्त चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 128 में बेदीराम के हिस्से में 1.99 हैक्टर भुमि दर्ज कर दी जबकि बेदीराम की कब्जा काश्त 1.28 हैक्टर पर ही है। इस प्रकार राजस्व अधिकारीयो द्वारा गलत विभाजन व गलत नक्सा तैयार कर दिया जो वादीगण के खातेदारी अधिकारो के विरूद्ध शुन्य व निष्प्रभावी है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण बाहमी विभाजन के अनुसार विवादित भुमि पर आज भी काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड कब्जा काश्त के आधार पर नही होने से पक्षकारान दावा के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा हो रहे है। वादीगण अपने हिस्से की भुमि को आधुनिक तरीके से काश्त करने के लिये भुमि की सीमाओ का पुख्ता ज्ञान करवाकर चारो तरफ तारबन्दी करवाने के लिये तहसीलदार सूरजगढ के यहां सीमा ज्ञान का आवेदन माह जुन 2022 में किया तब हल्का पटवारी सीमा ज्ञान करवाने के लिये मौके पर आया तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपका कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज नही है आपका विभाजन गलत हो गया जिसको दुरूस्त करवाना पड़ेगा। तब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड को देखने पर गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई इससे पूर्व वादीगण को कभी भी राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यकता नही हुई।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने कई दफा समस्त खातेदारान को इक्कठा करने की कोशिश की परन्तु सभी खातेदार इक्कठे नही हो पाये इसके बाद वादीगण ने दिनांक 28.02.2023 को तहसील कार्यालय सूरजगढ से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाकर तहसीलदार सूरजगढ से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिये कहा तो तहसीलदार सूरजगढ ने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया तब वादीलाग को यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के यहां पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि भुमि खेत खसरा नम्बर 128, 138, 139 से बने हाला खसरा नम्बर 128 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 488/128 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.71 हैक्टर, खासता नम्बर 490/138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 491/139 रकबा 0.38 हैक्टर स्थित ग्राम लोटिया को वादीगण एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–101 / 2023
मनोहरलाल बनाम मामकौर उर्फ सावित्री वगै0
निर्णय दिनांकः– 27/06/2025....

की संयुक्त खातेदारी की भुमि घोषित की जाकर उसमें वादी नं0 1 व 2 को हिस्सा /4–1/4 का, वादी नं० 3 को हिस्सा 215/1296 का प्रतिवादी नं० 08 लगायत 13 को 215/1296 का तथा प्रतिवादी नं० 1 लगायत 6 को संयुक्त रूप से बाहिस्सा 215/1296 का तथा प्रतिवादी नं0 7 को 1/432 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्से के अनुसार उक्त घोषणा के अनुसार वादीगण का कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग दर्ज किया जाना न्यायोचित है व उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व नक्से को भी पेश नजरी नक्से के अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा न तो स्वंय और न ही अपने ऐजेन्टो के माध्यम से कारित करे।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र का निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना फरमाया जावे कि :–

(क) कि वाके ग्राम लोटिया में स्थित भुमि खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 488/128 रकबा 1. 99 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 490/138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 491/139 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6.16 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भुमि घोषित की जाकर वादी नं0 1 व 2 को नजरी नक्सा के अनुसार भुमि खसरा नम्बर 128 के पश्चिमी हिस्से का रकबा 2. 70 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 139 का पूर्व की तरफ का 1/2 हिस्से की भुमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना फरमाया जावे तथा वादी नं० 3 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 13 को भुमि खसरा नम्बर 128 का पूर्वी रकबा 1. 28 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 139 का 1/2 पश्चिमी हिस्से की भुमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना फरमाया जावे। राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रामकुमार व धर्मचन्द का नाम हज्फ किया जाकर उनके वारीसान को उनके हिस्से की भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

(ख) कि उपर वर्णित घोषणा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नजरी नक्सा में दर्ज अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता प्रतिवादीगण से अलग दर्ज किया जाना फरमाया जावे विभाजन में प्राप्त भुमि पर वादीगण का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान भी अलग अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को विभाजन में प्राप्त भुमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार कोई बाधा न तो स्वंय और न ही अपने ऐजेन्टो के माध्यम से कारित करे।

(घ) यह कि मुकदमा हर्जा खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दिनांक 29.05.2023 को दर्ज किया गया एवं दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 30.06.2023 नियत की गयी। दिनांक 10.06. 2025 को प्रतिवादीगण संख्या 2, 4लगायत 10, 12, 13 की और से अधिवक्ता श्री राकेश वर्मा द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की मृत्यु होने पर कायम मुकाम स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दावा से

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—101 / 2023
मनोहरलाल बनाम मामकौर उर्फ सावित्री वगै0
निर्णय दिनांकः—27/06/2025....

हजफ किया गया एवं शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वाद को मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने पर सहमति जाहिर की । बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अंतिम डिकी किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम लोटिया में स्थित भुमि खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 488 / 128 रकबा 1. 99 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 490 / 138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 / 139 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6.16 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भुमि घोषित की जाकर वादी नं0 1 व 2 को नजरी नक्शा के अनुसार भुमि खसरा नम्बर 128 के पश्चिमी हिस्से का रकबा 2.70 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 139 का पूर्व की तरफ का 1/2 हिस्से की भुमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी नं० 3 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 13 को भुमि खसरा नम्बर 128 का पूर्वी रकबा 1. 28 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 139 का 1/2 पश्चिमी हिस्से की भुमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं । राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रामकुमार व धर्मचन्द का नाम हज्फ किया जाकर उनके वारीसान को उनके हिस्से की भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025.... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:—101 / 2023
मनोहरलाल बनाम मामकौर उर्फ सावित्री वगै0
निर्णय दिनांक:— 27/06/2025.......

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 101 / 2023
निर्णय दिनांक:— 27/06/2025....

मनोहरलाल बनाम मामकौर उर्फ सावित्री वगै0
दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती ,

खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 27/06/2025.........को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि—

वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम लोटिया में स्थित भुमि खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 488 / 128 रकबा 1. 99 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 490 / 138 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 / 139 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 6. 16 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भुमि घोषित की जाकर वादी नं0 1 व 2 को नजरी नक्शा के अनुसार भुमि खसरा नम्बर 128 के पश्चिमी हिस्से का रकबा 2.70 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 139 का पूर्व की तरफ का 1/2 हिस्से की भुमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी नं० 3 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 13 को भुमि खसरा नम्बर 128 का पूर्वी रकबा 1. 28 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 139 का 1/2 पश्चिमी हिस्से की भुमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं । राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रामकुमार व धर्मचन्द का नाम हज्फ किया जाकर उनके वारीसान को उनके हिस्से की भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 27/06/2025........ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी